File No. T-17/12/May/20/3982932-EE
Government of India
Archaeological Survey of India
(Ministry of Culture)
Exploration and Excavation Section
*****

01 JUN 2020

Dharohar Bhawan,
24 Tilak Marg, New Delhi-110001
Dated: May, 2020

To,

1. Prehistory and Excavation Branches, Archaeological Survey of India (ASI).
2. Building Survey Project and Temple Survey Project, ASI.
3. All State Departments of Archaeology.
4. All Universities having Department of Archaeological Studies.
5. Research Institutions dealing with Archaeological Research & Studies.
6. Web Manager of ASI.

SUBECT: INVITING PROPOSALS FOR EXPLORATION / EXCAVATION PROGRAMME FOR THE SEASON 2020-2021 – REGARDING.

Sir / Madam,

As you are aware, Section 24 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958 and Rules 1959 stipulates the approval of the Central Government for carrying out any archaeological excavation, which also includes exploration or any operation aimed at discovery of objects of archaeological character. In order to coordinate the excavations programme in the country all the proposals for the approval of the Central Government the same are to be submitted to the Director General, Archaeological Survey of India (ASI) for the consideration of the same by the Standing Committee of the Central Advisory Board of Archaeology (SC of CABA) for its recommendation. The proposals shall not be considered if terms like scientific clearance, debris clearance, trial digging, trial pit, test pit, trial trenching are used in the application.

Your attention is drawn for submitting proposals for undertaking archaeological excavation **during the field season 2020-21,** which may be forwarded to this office with full details as per the enclosed proforma, latest by **31st July 2020** for placing the same before the SC of CABA.

In case, the excavation programme is a continuation of earlier work, it shall also be mentioned indicating the work done during the last season and the scope for future planning along with a detailed report of previous season's work.

Further, the proposal shall be problem-oriented in nature and scheme of work may be envisaged for future planning as well so that each year's work may not appear as isolated venture.

Contd...2/-

फा.सं. टी.-17/12/ मई/20/3982932--ई.ई

भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
(संकृति मंत्रालय)
अन्वेषण और उत्खनन अनुभाग

01 JUN 2020

धरोहर भवन,
24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001
दिनांक मई, 2020

सेवा में,

1. प्रागैतिहासिक तथा सभी उत्खनन शाखाएं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
2. मंदिर तथा भवन सर्वेक्षण परियोजनाएं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
3. सभी राज्यों के पुरातत्व विभाग
4. पुरातत्व अध्ययन विभागों वाले सभी विश्वविद्यालय
5. पुरातत्वीय अनुसंधान एवं अध्ययन कार्य कर रही अनुसंधान संस्थाएं
6. वैब प्रबंधक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

विषय : सत्र 2020-2021 के लिए अन्वेषण / उत्खनन कार्यक्रमों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आपको विदित है प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 24 और नियम 1959 में किसी भी प्रकार के पुरातत्वीय उत्खनन जिसमें पुरातत्वीय विशेषता वाली वस्तुओं की खोज के उद्देश्य से किए गए अन्वेषण या अन्य कार्य भी शामिल हैं, को करने के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेना निर्धारित किया गया है। देश में उत्खनन कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों पर केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अपनी संस्तुति के लिए विचार किया जाता है। यदि आवेदन में वैज्ञानिक सफाई, मलबा हटाना, परीक्षण खनन, ट्रायल पिट, परीक्षण गड्ढे, परीक्षण खुदाई जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मुझे आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि सत्र 2020-2021 के दौरान पुरातत्वीय उत्खनन करने के लिए ऐसे सभी प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में पूरे विवरण के साथ 31 जुलाई 2020 तक इस कार्यालय को प्रेषित कर दिए जाएं ताकि उन्हें केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

यदि उत्खनन कार्यक्रम पूर्व कार्य के क्रम में है तो इसका उल्लेख पिछले सत्र के दौरान किए गए कार्य तथा पूर्व सत्र के कार्य की विस्तृत रिपोर्ट सहित भविष्य की योजना के कार्यक्षेत्र को दर्शाते हुए किया जाए।

इसके अलावा, प्रस्ताव समस्या उन्मुखी प्रकृति का होना चाहिए तथा कार्य की योजना में भविष्य की योजना की भी परिकल्पना की जानी चाहिए ताकि प्रति वर्ष का कार्य पृथक कार्य प्रतीत न हो।

The proposal for excavation in the areas, which are not protected by the Central Government, **shall be submitted through the respective State Governments** who in their turn, may certify that they intend to undertake or authorize the applicant to undertake archaeological excavation in the area. **In the absence of such recommendation from the concerned State Government i.e. Office of the Secretary (Culture) or other under which the Archaeology department comes, the proposal will be liable to summarily be rejected and would not be placed before the SC of CABA.** This procedure has been prescribed by the Government so as to fulfill requirements of Rule 24 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958 and Rules 1959.

The proposals for excavating **a Centrally Protected Site** shall, however, be sent to this office directly, in duplicate, in **Form II** (format enclosed) along with a plan in triplicate **indicating the area to be excavated and marked mandatorily in red.** In case of the proposed work is in continuation of the previous work, the area excavated during last field season(s) shall be **marked mandatorily in green ink.**

The following points may, however be kept in view while submitting the proposals:-

1. The proposals must be drawn and submitted with details as given in enclosed proforma specimen including a plan of the site duly marking therein area proposed to be excavated during the season. Further, the proposed excavated area may be marked distinctly, if excavated earlier/previously.

2. The proposal should be research-oriented and aimed at filling the missing links and gaps in Indian Archaeology and History with well-defined objectives particularly on prehistoric investigation in north-eastern India, northern Neolithic investigation in Kashmir and Ladakh and also to understand the origin and development of Harappan Culture in the context of indigenous culture in Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Besides ancient Buddhist settlements and early medieval and medieval archaeology shall also be given due importance.

3. The proposals may also be concentrated on salvaging of archaeological remains wherever possible keeping in view of the destruction of archaeological sites due to urbanizations, agricultural expansion, incipient industrialization and encroachment.

4. Further, the proposal may also take into account the suggestions made by the Core Committee constituted by the Director General, Archaeological Survey of India (copy enclosed).

5. For the excavation in the areas not protected by the Central Government, the **proposal must route through the concerned State Government**. However, an advanced copy may be submitted to the Director General, ASI.

6. In case of Universities / Research Institutions, it is necessary that the proposals should be signed by the Registrar / Head of the Institutions, respectively.

7. All such proposals shall reach this office positively by **31st July, 2020** direct as well as through the concerned State Government.

Contd..p.3/-

ऐसे क्षेत्रों, जो केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है, में उत्खनन के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे, जो अपनी ओर से यह प्रमाणित करेंगे कि वे असंरक्षित क्षेत्र में स्वयं पुरातत्वीय उत्खनन करना चाहते हैं अथवा आवेदक को पुरातत्वीय उत्खनन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं । संबंधित राज्य सरकार अर्थात् सचिव (संस्कृति) का कार्यालय अथवा अन्य जिसके अंतर्गत पुरातत्व विभाग आता है, द्वारा ऐसी सिफारिश न किए जाने पर, प्रस्ताव को संक्षिप्त तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा इसे केन्द्रीय पुरातत्व सलाहाकार बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष नहीं रखा जाएगा । यह प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ताकि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के नियम 24 की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके ।

तथापि, किसी केन्द्रीय संरक्षित स्थल के उत्खनन का प्रस्ताव दो प्रतियों में प्रपत्र-II में (प्रपत्र संलग्न) उत्खनित किए जाने वाले क्षेत्र को दर्शाते हुए तथा अनिवार्य रूप से लाल रंग से चिन्हित करते हुए योजना की तीन प्रतियों के साथ इस कार्यालय को सीधे भेजा जाए। यदि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किये गए कार्य की निरन्तरता में है तो पिछले सत्र (सत्रों) में उत्खनित किए गए क्षेत्र को अनिवार्य रूप से हरी स्याही से चिन्हित किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए:-

1. प्रस्ताव, संलग्न नमूना प्रपत्र में दिए ब्यौरे सहित तैयार कर प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसमें सत्र के दौरान उत्खनित किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र को विधिवत चिन्हित करते हुए स्थल की एक योजना शामिल की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रस्तावित उत्खनित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए कि वह पहले भी उत्खनित है या नहीं ।
2. प्रस्ताव अनुसंधान उन्मुख होना चाहिए एवं इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय पुरातत्व तथा इतिहास के मध्य अनुपस्थित सम्बधों और अंतरालों को भरने वाला होना चाहिए। साथ ही सुपरिभाषित उद्देश्य, खासकर उत्तर पूर्वी भारत में प्रागैतिहासिक अन्वेषण, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में नवपाषाण अन्वेषण तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात के मूल अथवा स्वदेशी संस्कृति के संदर्भ में हड़प्पाकालीन संस्कृति की उत्पति एवं विकास को समझने में सहायक होना चाहिए । इसके अतिरिक्त प्राचीन बौद्ध बस्तियों, पूर्व मध्यकाल और मध्यकालीन पुरातत्व को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए ।
3. शहरीकरण, कृषि विस्तार, औद्योगिकीकरण तथा अतिक्रमणों के कारण पुरातत्वीय स्थलों के विनाश को ध्यान में रखते हुए, जहां तक सम्भव हो, प्रस्तावों में पुरातत्वीय अवशेषों के बचाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।
4. इसके अलावा प्रस्ताव में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गठित मूल समिति द्वारा दिए गए सुझावों (प्रतिलिपि संलग्न) पर विचार करना चाहिए ।
5. ऐसे क्षेत्रों, जो केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित नहीं हैं, में उत्खनन करने के लिए **प्रस्ताव सम्बंधित राज्य सरकार अर्थात् सचिव (संस्कृति) का कार्यालय अथवा अन्य जिसके अंतर्गत पुरातत्व विभाग आता है, के माध्यम से भेजे जाने चाहिए**। तथापि, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक अग्रिम प्रति भेजी जा सकती है ।
6. विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थाओं के मामलें में यह आवश्यक है कि प्रस्ताव पर क्रमश: रजिस्ट्रार / संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किये जाएं ।
7. ऐसे सभी प्रस्ताव सीधे अथवा संबंधित राज्य सरकार की मार्फत इस कार्यालय में **31 जुलाई, 2020** तक अवश्य पहुंच जाने चाहिएं ।
8. **निर्धारित तिथि अर्थात् 31 जुलाई, 2020 तक विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थाओं के किसी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त न होने की स्थिति में प्रस्तावों को संस्तुति के लिए केन्द्रीय पुरातत्व सलाहाकार बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और इन्हें अस्वीकृत समझा जाएगा ।**
9. इस परिपत्र के जारी होने से पहले जिन्होंने सत्र **2020-21** के लिए अन्वेषण/उत्खनन के लिए पहले ही अपने प्रस्ताव भेज रखें हैं वे इन्हें संलग्न नमूना प्रपत्र के अनुसार नये सिरे से भेजें ।

8. In case the recommendation from the State Government for approval of any proposal of the University / Research Institution is not received by the **due date i.e. 31st July 2020, the proposals will not be placed before the SC of CABA for its scrutiny and it will be treated as rejected.**

9. Those who have already sent their proposals for exploration / excavation for the season **2020-21** prior to the issue of this circular will have to send it afresh as per enclosed proforma.

10. It may be noted that all the columns should be duly filled in and typewritten to ensure clarity.

11. The proposals received after **31st July 2020** and the proposals without requisite documents as stipulated above, will be summarily rejected.

12. The proposal can also be applied online on this office website: www.asi.nic.in as per following steps:

i. Open the official website of Archaeological Survey of India – www.asi.nic.in
ii. Open the link Apply for Permission on the top navigation bar.
iii. A new page of permission will open.
iv. Click the link on Register.
v. Fill in all the details required for registration.
vi. After Registration click to the required form to be filled in (herein the Exploration/ Excavation).
vii. Fill in all the required fields and upload the required documents wherever required.
viii. The covering page of the application duly signed by the Registrar/ Head of the Institution to be uploaded. The clearance from Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs (in case of foreign participants) also to be uploaded in the required documents for the application.
ix. The State Archaeology clearance/ No Objection for the concerned Exploration/ Excavation shall be submitted in due course.
x. The approval/ cancellation of the application form filled will be shown to the user in his/her dashboard.

The collaboration with foreign nationals / Institution shall be carried out only after obtaining approval of the Government of India. It shall be ensured by the Indian Collaborators that valid research visa / permission from Ministry of Home Affairs / Ministry of External Affairs for the foreign national / an individual associated with the project is obtained well prior to the submission of the proposal.

Writing the excavation report is integral part of any archaeological excavation. Therefore, while submitting the proposals for excavation it should clearly be indicated whether report on the previous excavation have been prepared and brought out. If not, the detailed and cogent reasons must be indicated. It may be

Contd..p.4/-

10. यह नोट किया जाए कि स्पष्टता सुनशिचित करने के लिए सभी कालमों को विधिवत् रूप से भरा जाए और टाइप किया जाए।

11. 31 जुलाई, 2020 के बाद प्राप्त होने वाले और ऊपर लिखित अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले प्रस्तावों को संक्षिप्त रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

12. निम्न चरणों के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय की वेबसाइट www.asi.nic.in पर भी लागू किया जा सकता है:

i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आधिकारिक वेबसाइट खोलें- www.asi.nic.in

ii) लिंक खोलें शीर्ष नेविगेशन बार पर अनुमति के लिए आवेदन करें।

iii) अनुमति का एक नया पेज खुलेगा।

iv) रजिस्टर पर लिंक पर क्लिक करें।

v) पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी विवरण भरें।

vi) पंजीकरण के बाद भरे जाने वाले आवश्यक फॉर्म पर क्लिक करें (इसमें अन्वेषण / उत्खनन)।

vii) सभी आवश्यक फ़ील्ड भरें और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

viii) अपलोड किए जाने वाले संस्थान के रजिस्ट्रार / प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन का कवरिंग पेज। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय (विदेशी प्रतिभागियों के मामले में) से मंजूरी भी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में अपलोड की जानी चाहिए।

ix) संबंधित अन्वेषण / उत्खनन के लिए राज्य पुरातत्व मंजूरी / अनापत्ति नियत समय पर भौतिक प्रति में प्रस्तुत की जाएगी।

x) भरे गए आवेदन पत्र का अनुमोदन / निरस्तीकरण उपयोगकर्ता को उसके डैशबोर्ड में दिखाया जाएगा।

भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही विदेशी नागरिकों / संस्थाओं के साथ सहयोग किया जाएगा। भारतीय सहयोगियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस परियोजना से जुड़े विदेशी नागरिकों / व्यक्ति का वैध अनुसंधान वीजा / अनुमति-पत्र केन्द्रीय गृह मंत्रालय / विदेश मंत्रालय से प्राप्त कर ली गई है।

उत्खनन रिपोर्ट लिखना पुरातात्विक उत्खनन का एक अभिन्न अंग है। अत: उत्खनन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि पहले किए गए उत्खनन की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और प्रकाशित कर दी गई। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो विस्तृत और ठोस कारण सूचित किए जाएं। कृपया यह नोट करें कि यदि उपर्युक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उत्खनन के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा। संस्थान और विभागों के प्रमुख कृपया स्पष्ट तौर पर यह सुनिश्चित करें कि संबंधित आवेदक की उत्खनन रिपोर्टें लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, वे यह सुनिश्चित करें कि यदि संबंधित आवेदक की उत्खनन रिपोर्ट लंबित है तो आवेदन पत्र अग्रेषित न किए जाएं। पूर्ण रिपोर्ट महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, धरोहर भवन, नई दिल्ली -110001 को व्हीलर समिति रिपोर्ट 1965 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार हार्ड और सॉफ्ट कॉपी (पी डी एफ / एम.एस. वर्ड) में प्रस्तुत की जाए।

वे आवेदक जिनकी अन्वेषण / उत्खनन रिपोर्टें लम्बित हैं तथा जिन्होंने पिछले फील्ड सत्र में अन्वेषण / उत्खनन किया है, उन्हें नए अनुमति / लाइसेंस की प्राप्ति के लिए आवेदन के साथ या उससे पहले पुरावशेषों की सूची, महत्वपूर्ण खोजों की बेहतर गुणवत्ता वाली तस्वीरें और स्थान के नक्शे के साथ एक अंतरिम रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने या निरस्त करने का अन्तिम निर्णय महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का होगा।

28/7/2020

संलग्न: यथोपरि

(वी.एन. प्रभाकर)
निदेशक (अन्वेषण और उत्खनन)
ई-मेल direxc.asi@gmail.com
vnprabhu.asi@gov.in

noted that no approval for excavation will be granted if the above information is not furnished. The Head of the Institution and Departments shall clearly ensure that there is no pendency in excavation reports of the concerned applicant. Further, they may ensure that if the concerned applicant has pending excavation reports, the application may not be forwarded. The completed reports shall be submitted to the Director General, Archaeological Survey of India, Dharohar Bhawan, 24 Tilak Marg, New Delhi-110001 in hard as well as soft copy (pdf / format) as per the format prescribed by Wheeler Committee Report 1965.

The applicants who have pending exploration/excavation report against their names and those who have undertaken exploration/excavation in the previous field season are essentially required to submit an Interim Report together with list of antiquity finds, good quality photographs of important finds and location map, along with or before the receipt of fresh application proposal seeking permission/license.

The decision of the Director General, Archaeological Survey of India in accepting or rejecting any proposals would be final.

Encl: As above

28/05/2020

(V.N. Prabhakar)
Director (Exploration & Excavation)
E-mail: direxc.asi@gmail.com
vnprabhu.asi@gov.in

Copy forwarded to all the Directorate of Archaeology of the State concerned for information and speedy forwarding of the proposals for exploration / excavation in respect of their State for the season **2020-21** with their recommendations for excavation. It is necessary to fulfill the provisions stipulated in the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958 and the Rules made thereunder. The relevant parts are reproduced below for your ready reference.

*"No State Government shall undertake or authorize any person to undertake any excavation or other like operation for archaeological purposes in any area which is not a protected area except with the previous approval of the Central Government and in accordance with such rules or directions, if any, as the Central Government may make or give in this behalf".... [**Section 24, the AMASR Act, 1958)***

*"Every State Government intending to undertake or authorize any person to undertake any archaeological excavation or other like operation in any area which is not a protected area shall intimate its intention to the Central Government at least three months prior to the proposed date of the commencement of the excavation or operation....." (**Rule 24, the AMASR Rules, 1959)**.*

प्रतिलिपि, सभी सम्बंधित राज्य विभागों (पुरातत्व निदेशालय) को सूचनार्थ तथा सत्र 2020 -21 के लिए अपने राज्य के संबंध में उत्खनन के लिए अपनी संस्तुति सहित अन्वेषण / उत्खनन संबंधी प्रस्तावों को शीघ्र अग्रेषित करने के लिए प्रेषित । प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित उपबंधों को पूरा करना आवश्यक है। सुलभ संदर्भ के लिए संगत भाग नीचे दिए गए हैं।

"कोई भी राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में, जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए किसी उत्खनन या उसी प्रकार की अन्य संक्रिया का भार केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे नियमों या निदेशों के, यदि कोई हों, जो केन्द्र सरकार इस निमित्त बनाए या दें के सिवाय नहीं लेगी और न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा भार लेने के लिए प्राधिकृत करेगी"..... (धारा 24, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958)।

"किसी भी क्षेत्र में जो संरक्षित क्षेत्र नहीं है पुरातत्वीय उत्खनन अथवा उसी प्रकार की किसी अन्य संक्रिया का इरादा रखने वाली अथवा इसके लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने का इरादा रखने वाली प्रत्येक राज्य सरकार उत्खनन अथवा संक्रिया शुरू करने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम तीन महीने पहले इसके इरादे की सूचना केन्द्र सरकार को देगी.... "(नियम 24 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959) ।

APPLICATION FOR CARRYING OUT EXPLORATION / EXCAVATION AT AREAS OTHER THAN PROTECTED FOR THE FIELD SEASON 2020 -21

1. Name of the Project (Exploration/ Excavation)

2. Name and address of the applicant
(Enclose brief profile)
(If the application is on behalf of an institution, the name thereof should be given)

3. Name of the site :
Locality:
District:
State:
Lat: Long:

4. Details of previous studies / brief report on work carried out by the applicant during last field season on the proposed site/area, if any

5. Project statement and objectives, time-frame

6. Extent of the proposed excavation or operation

(A plan of the site in triplicate showing in red outline the extent of the proposed excavation or operation to be attached)

7. Approximate expenditure and the anticipated funding

8. Composition of the team

9. Collaborator, if any

10. Plan for the preservation, maintenance and proper scientific storage of excavated remains and material.
Approximate Expenditure and Funding

11. Provision for archiving photo, drawing and other documentation materials pertaining to excavation/ exploration

12. Stage of submission of the report(s) on previous exploration (s) / excavation(s) taken up by the applicant / institution

Year	Name of the site	Stage of publication of report

13. Any other information

14. I declare that the above information is correct. I also undertake to observe the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and the rules made there under.

Station:
Date:

Signature of the applicant
(if the application is on behalf of an institution, the signature should be that of the head of the institution, which term includes the Registrar of a University)

Seal of the Institution

Recommendation of the State Government
(Sites other than Centrally protected)

कार्य सत्र् (फील्ड सीजन) 2020 -21 के लिए संरक्षित क्षेत्रें के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रें में अन्वेषण / उत्खनन करने के लिए आवेदन-पत्र

1. परियोजना का नाम (अन्वेषण/उत्खनन)
2. आवेदक का नाम तथा पता
   (संक्षिप्त प्रोफाइल संलग्न करें)
   (यदि किसी संस्था की ओर से आवेदन
   किया है तो उसका नाम दिया जाना चाहिए)
3. स्थल का नाम
   स्थान :
   जिला :
   राज्य :
   रेखांश : लक्षांश :
4. पूर्व अध्ययनों का ब्यौरा/प्रस्तावित स्थल/
   क्षेत्र् पर आवेदक द्वारा पिछले कार्य सत्र्
   के दौरान किए गए कार्य की संक्षिप्त रिपोर्ट,
   यदि कोई है
5. परियोजना विवरण तथा उद्गदेश्य, समय सीमा
6. प्रस्तावित उत्खनन या कार्य की सीमा
   (प्रस्तावित उत्खनन या कार्य की सीमा
   को लाल रंग से सीमांकित करते हुए
   स्थल की योजना तीन प्रतियों में संलग्न
   की जानी चाहिए)
7. अनुमानित व्यय तथा प्रत्याशित वित्त पोषण
8. दल का संघटन
9. सहयोगी, यदि कोई हो
10. उत्खनित अवशेषों और सामग्री के परिरक्षण,
    अनुरक्षण और समुचित वैज्ञानिक संचयन के
    लिए योजना
    अनुमानित व्यय तथा वित्तपोषण
11. उत्खनन/अन्वेषण से संबंधित फोटो/आरेखों और अन्य
    प्रलेखन सामग्री के लिए प्रावधान
12. आवेदक/संस्था द्वारा किए पिछले अन्वेषण
    (अन्वेषणों)/उत्खनन (उत्खननों)
    पर रिपोर्ट (रिपोर्टें) प्रस्तुत करने का चरण

    वर्ष स्थल का नाम रिपोर्ट के प्रकाशन का चरण
13. कोई अन्य सूचना
14. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना सही है। मैं प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करने का भी वचन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि आवेदन किसी संस्था की ओर से
है तो हस्ताक्षर संस्था के प्रमुख के होने
चाहिए जिसमें विश्वविद्यालय का
रजिस्ट्रार भी शामिल है)

संस्था की मोहर
राज्य सरकार की सिफारिश
(केंद्रीय संरक्षित स्थलों के अलावा अन्य स्थल)

FORM –II

Application for License to excavate in a Centrally Protected Area for the field season 2020-2021

(Vide rule 12)

1 Name and address of applicant (if the application is on behalf of an institution, the name thereof should be given)

2. Name of the site
Locality
District
State

3. Extent of the proposed excavation and time-frame (a plan of the site in triplicate showing in red outline the extent of the proposed excavation to be attached)

4. Approximate expenditure on the proposed excavation

I declare that the above information is correct. I also undertake to observe the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and the rules made thereunder.

Station:
Date:
Seal of the institution

Signature of the Applicant
(if the application is on behalf of an institution, the signature should be that of the head of the institution, which term includes the Registrar of a university)

प्रपत्र - II

कार्य सत्र 2020-2021 के लिए केंद्रीय संरक्षित क्षेत्र् में उत्खनन के लाइसेंस के लिए आवेदन -पत्र्
(नियम 12 के अनुसार)

1- आवेदक का नाम तथा पता
(यदि किसी संस्था की ओर
से आवेदन किया है तो उसका
नाम दिया जाना चाहिए)

2- स्थल का नाम

स्थान :

जिला :

राज्य :

3- प्रस्तावित उत्खनन की सीमा और समय-सीमा
(प्रस्तावित उत्खनन की सीमा को लाल रंग
से सीमांकित करते हुए स्थल की योजना
तीन प्रतियों में संलग्न की जानी याहिए)

4- प्रस्तावित उत्खनन पर अनुमानित व्यय

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना सही है। मैं प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करने का भी वचन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक :

संस्था की मोहर

आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि आवेदन किसी संस्था की ओर से है तो हस्ताक्षर संस्था के प्रमुख के होने चाहिए जिसमें विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार भी शामिल है)

FORM IV

Report on Antiquities excavated in a protected area
(Vide rule 16)

Name of site
Locality
District
State
Report for the period from----------to----------

S. No.	Class of antiquities	Material	Number of antiquities		Appx. age	Remarks
			Complete	Fragmentary		

Station:
Date:

Signature of the Licensee

1- In the case of potsherds, the approximate number should be stated.

प्रपत्र - IV

संरक्षित क्षेत्र् में उत्खनित पुरावशेषों पर रिपोर्ट

(नियम 16 के अनुसार)

स्थल का नाम

स्थान :

जिला :

राज्य :

..... से ..... तक की अवधि के लिए रिपोर्ट

क्रम सं.	पुरावशेषों की श्रेणी	सामग्री	पुरावशेषों की संख्या		अनुमानित आयु	टिप्पणियां
			पूर्ण	खंडित		

स्थान

दिनांक

लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर

1. ठीकरों (पोटशेर्ड) के संबंध में, अनुमानित संख्या बतानी होगी।

DOCUMENTATION OF ANTIQUITES

ANTIQUITIES		
1	Name of the Museum/ Institution	
2	Title of object	
3	Type of Object	
4	Date / Period	
5	Dynasty / Style	
6	Provenance	
7	Material	
8	Measurement / Weight	
9	Description	
10	Identification marks	
11	Condition	
12	Photograph	
13	Location at the museum	
14	State / UT	
15	Accession / Registration No.	
16	Source of acquisition	
17	National Documentation No.	
18	Published References	
19	Remarks	
20	Date of recording	
21	Recorded by	

पुरावशेष प्रलेखन शीट राष्ट्रीय संस्मारक और पुरावशेष मिशन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

	पुरावशेष	
1	संग्रहालय/ संस्थान का नाम	
2	वस्तु का शीर्षक	
3	वस्तु का प्रकार	
4	तारीख/काल	
5	वंश/शैली	
6	प्रांत	
7	सामग्री	
8	माप/वजन	
9	विवरण	
10	पहचान चिन्ह	
11	अवस्था	
12	फोटो	
13	संग्रहालय में अवस्थिति	
14	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	
15	परिग्रहण/पंजीकरण सं.	
16	अभिग्रहण का स्रोत	
17	राष्ट्रीय प्रलेखन सं.	
18	प्रकाशित संदर्भ	
19	टिप्पणियां	
20	अभिलेखन तिथि	
21	द्वारा दर्ज किया गया	